रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/94 REGD. NO. D.L.-33004/94



असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 114] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 9, 1994/फाल्गुन 18, 1915
No. 114] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 9, 1994/PHALGUNA 18, 1915

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 9 मार्च, 1994

सा.का.नि. 310 (अ):— राष्ट्रपति द्वारा 9 मार्च, 1994 को दिया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

आदेश

जबकि महाराष्ट्र विधान मण्डल के दोनों सदनों ने 26 जुलाई, 1984 को सर्वसम्मत संकल्प पारित किए जिनमें भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 के खण्ड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विदर्भ, मराठवाड़ा और शेष महाराष्ट्र के लिए पृथक विकास बोर्डों की स्थापना हेतु भारत के राष्ट्रपति से आदेश देने का अनुरोध किया गया है ;

और जबकि महाराष्ट्र विधान मण्डल द्वारा पारित संकल्पों को पूर्वोक्त अनुसार प्रभावी बनाना समीचीन है ;

अतः अब राष्ट्रपति एतद्द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 के खण्ड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महाराष्ट्र राज्य के संबंध में निम्नलिखित आदेश करते हैं :—

1. संक्षिप्त शीर्षक, आरम्भ और अवधि :

(i) इस आदेश को महाराष्ट्र राज्य (विदर्भ, मराठवाड़ा और शेष महाराष्ट्र के लिए राज्यपाल का विशेष दायित्व) आदेश, 1994 कहा जाए ।

(ii) यह इस संबंध में राष्ट्रपति द्वारा नियत की गई तारीख से प्रवृत्त होगा।

(iii) यह इसके लागू होने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए अथवा राष्ट्रपति द्वारा इस संबंध में आदेश देकर निर्धारित की गई तारीख तक लागू रहेगा ।

2. राज्यपाल का विशेष उत्तरदायित्व:– महाराष्ट्र के राज्यपाल का विदर्भ, मराठवाड़ा और शेष महाराष्ट्र के लिए पृथक विकास बोर्डों की स्थापना करने और ऐसे प्रत्येक विकास बोर्ड के क्षेत्र के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 371 के खण्ड (2) के उपखण्ड (ख) और (ग) में विनिर्दिष्ट मामलों के लिए विशेष उत्तरदायित्व होगा।

शंकर दयाल शर्मा
राष्ट्रपति

नई दिल्ली
दिनांक 9 मार्च, 1994

[फ़ा.सं.-20012/4/90-एस. आर.]
एन.एन. वोहरा, गृह सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 9th March, 1994

G.S.R. 310(E).—The following Order made by the President on the 9th March, 1994 is published for general information :—

ORDER

WHEREAS both Houses of the Maharashtra State Legislature Passed unanimous resolutions on the 26th July, 1984 requesting the President of India to make an order in exercise of the powers conferred by clause (2) Article 371 of the Constitution of India, for establishment of separate Development Boards for Vidarbha, Marathwada and the rest of Maharashtra;

AND WHEREAS it is expedient to give effect to the resolutions passed by the Maharashtra State Legislature as aforesaid ;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (2) of Article 371 of the Constitution of India, the President of India hereby makes, with respect to the State of Maharashtra, the following order :—

1. Short title, commencement and duration :

(1) This order may be called the State of Maharashtra (Special Responsibility of Governor for Vidarbha, Marathwada and the rest of Maharashtra) Order, 1994.

(2) It shall come into force on the day appointed by the President on this behalf.

(3) It shall remain in force for the period of five years from the date it comes into force or upto such date as the President may, by order made in this behalf, specify.

2. Special responsibility of Governor :

The Governor of Maharashtra shall have special responsibility for the establishment of separate Development Boards for Vidarbha, Marathwada and the rest of Maharashtra and for matters specified in sub-clauses (b) and (c) of clause (2) of Article 371 of the Constitution in respect of the area of each such Development Board.

S. D. SHARMA
President

New Delhi
Dated the 9th March, 1994

[F. No. 20012|4|90-SR]
N. N. VOHRA, Home Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1994